आबादियों की बेहतर गतिशीलता की वकालत

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

किसी भी राष्ट्र में अन्य राष्ट्रों से स्थाई रूप से आने वाले प्रवासियों का स्वागत कम ही होता है। कभी-कभी तो एक राष्ट्र के भीतर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाले लोगों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आए उत्तर भारतीयों का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध इसका उदाहरण है। अन्य राष्ट्रों के आप्रवासियों का विरोध तब और भी अधिक होता है जब वे अकुशल अथवा अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। आप्रवासियों को स्थानीय आबादी के हितों के प्रतिकूल मानने की इस भावना के विपरीत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में प्रसारित इस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट कुशल, अर्ध कुशल व अकुशल सभी श्रमिकों का प्रवासन विश्व के व्यापक हित में मानती है। इसमें यह दर्शाने का प्रयास है कि प्रवासन दोनों राष्ट्रों के व्यापक हित में होता है।

जब विकासशील राष्ट्रों से कुशल और अतिकुशल श्रमिकों का अन्य राष्ट्रों में प्रवासन होता है तो इसे विकासशील राष्ट्रों के लिए अहितकर माना जाता है परन्तु इस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट का कथन है कि प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि उनके विकास में मददगार भी होती है। केरल की अर्थव्यवस्था में वहां से अरब और अन्य राष्ट्रों में गए प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूरे भारत की बात करें तो यहां प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्राप्त विदेशी पूंजी से भी डेढ़ गुना अधिक होती है। इसके अलावा, लाभ इस राशि तक ही सीमित नहीं हैं; प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं, बीमारी की स्थिति में उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगती है, बेहतर एवं व्यापक संपर्कों से प्राप्त बेहतर समझ भी परिवार एव परिचितों तक स्थानांतरित होती है। परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है और शिशु एवं बाल मृत्यु दर भी कम हो जाती है। रिपोर्ट इसे 'सामाजिक पूंजी' की संज्ञा देती है। प्रवासियों के परिवारों में महिलाओं की भूमिका भी अधिक व्यापक हो जाती है और उनका सशक्तीकरण होता है।

इसके अलावा जब अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं तो स्थानीय श्रमिकों के लिए प्रतियोगिता कम हो जाती है और उनकी मज़दूरी की दर में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। जॉर्डन, पाकिस्तान, थाईलैण्ड एवं वियतनाम में किए गए सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि जिन परिवारों में कोई व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहा हो, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है।

रिपोर्ट का कथन है कि विकासशील राष्ट्रों को अपने अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों का प्रवास प्रोत्साहित करने के लिए निवेश करना चाहिए। प्रवासन में वृद्धि हेतु 6 सूत्री रणनीति की सिफारिश की गई है। 1. विकसित राष्ट्रों को अपने यहां आव्रजन को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2. आप्रवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। 3. प्रवासन को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए तथा परिवहन लागतों को कम करना चाहिए। 4. जब कभी स्थानीय आबादी एवं आप्रवासियों के हितों में टकराव हो तो दोनों के हितों को सुरक्षित रखने वाले हल निकालना चाहिए। 5. आंतरिक प्रवासन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। 6. प्रवासन को विकास के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि विकास की रणनीति के एक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। जिन राष्ट्रों से प्रवासन होता है और जिनमें होता है, दोनों में इसे सरल एवं सुलभ बनाने के लिए निवेश ज़रूरी है।

इस रिपोर्ट में विकासशील राष्ट्रों से अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के प्रवासन पर ज़ोर समझ से परे है। प्रश्न है कि अपने श्रमिकों के प्रवासन को प्रोत्साहित करने की बजाय इन्हें रोज़गार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने और इन्हें विकास का माध्यम बनाने की दिशा में क्यों न सोचा जाए? दरअसल, इनके कल्याण और इनकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाना चाहिए। गांधीजी की विकास नीति तो इसी उद्देश्य से प्रेरित

थी। वास्तविकता यह है कि यह रिपोर्ट मात्र विकसित राष्ट्र के हितों के दृष्टिकोण को लेकर लिखी गई है। इस समय विकसित राष्ट्रों में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर के कम होने के कारण इनकी आबादी के कम होते जाने का खतरा बढ़ रहा है। जापान, जर्मनी, कोरिया और रूस की आबादी तो कम हो भी रही है। फिर इनकी आबादी में वृद्धों का प्रतिशत बढ़ जाने वाला है। अनुमान है कि भविष्य में कामकाजी उम्र के 100 व्यक्तियों के पीछे 71 व्यक्ति गैर-कामकाजी उम्र के होंगे। ऐसे में अगर विकासशील राष्ट्रों से युवा वर्ग का आव्रजन होता है तो इस अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। परन्तु जो निवेश प्रवासन को प्रोत्साहित करने हेतु करना होगा, उसी को गरीब, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में प्रवासन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यह सच हो तो भी उन परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता है जो लोगों को प्रवासन के लिए बाध्य करती है। रिपोर्ट की मान्यता है कि प्रवासन ऐच्छिक होता है; परन्तु कोई ग्रामीण जब स्थानीय हस्तशिल्प व व्यवसायों के पतन के कारण शहरों में जाकर गंदी बस्तियों में रहने को बाध्य होता है तो उसे ऐच्छिक कैसे माना जा सकता है? रिपोर्ट में लोगों के मजबूरन प्रवासन के कारणों का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया है, जिन्हें अर्थशास्त्री पुश फैक्टर्स कहते हैं।

आंतरिक प्रवासन की चर्चा करते हुए रिपोर्ट कहती है कि अधिकांश प्रवासी राष्ट्र की सीमा को पार नहीं करते हैं, वे राष्ट्र के अन्दर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में देश में अंदरूनी प्रवासियों की संख्या चार गुना अधिक होती है। भारत के संदर्भ में तो यह प्रतिशत बहुत कम दिखाई देता है। यहां पिछले वर्षों में गांवों से शहरों की ओर प्रवास बढ़ा है और ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो अपने जन्म स्थान से भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं। फिर बड़े देशों के अंदर भी आंतरिक प्रवासियों को अक्सर भाषा, धर्म, रीति-रिवाज़ों, सामाजिक मान्यताओं की भिन्नता के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जब पिछड़े राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों की ओर प्रवास होता है तो प्रवासी की आय में 15 गुना वृद्धि होती है, प्रायः स्कूल में भर्ती बच्चों का प्रतिशत बढ़ जाता है, बाल मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम हो जाती है। इस तरह प्रवासन मानव विकास का माध्यम बन जाता है। परन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्रवासन के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता।

रिपोर्ट मजबूरन प्रवास के कारणों को दूर करने के लिए नीतिगत सुझाव भी नहीं देती है। रिपोर्ट प्रवासन का आदर्शवादी चित्र प्रस्तुत करती प्रतीत होती है। आवश्यकता तो मजबूरन प्रवासन के कारणों को दूर करने की है। अवैध प्रवासियों को अन्य राष्ट्रों में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी भी चर्चा नहीं की गई है। भारी राशि खर्च कर अवैध प्रवास करने वाले लोगों के पकड़े जाने और लौटा दिए जाने के मामलों में जिस बरबादी का सामना करना पड़ता है, उन पर भी रिपोर्ट में ध्यान नहीं दिया गया है।

रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांकों की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व के 182 राष्ट्रों में 134वें क्रम पर है, जबकि 1996 की रिपोर्ट में 177 राष्ट्रों में 127वां था, उससे पूर्व यह 124वें क्रम पर था। ये गिरते क्रम बताते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर भले ही बढ़ रही हो, मानव विकास सूचकांको में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके पीछे संभावित कारण भारत का स्वास्थ्य के मापदण्डों में पीछे रह जाना है। शिक्षा की भी लंबे समय तक उपेक्षा होती रहने से देश में वयस्क साक्षरता का प्रतिशत अनेक सहाराई अफ्रीकी राष्ट्रों से भी कम है। साक्षरता में वृद्धि की आवश्यकता पर देर से ही सही, सरकार का ध्यान गया तो है परन्तु स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयास होना बाकी है। क्या हम विश्वास करें कि भारत सरकार मानव विकास सूचकांकों की दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में भारत के गिरते क्रम के कारणों का गंभीरता से विवेचन करेगी और उन्हें दूर करने के गंभीर प्रयास करेगी?

(स्रोत फीचर्स)